उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

15 मई, 2012 ई0

संख्या 209/XXVII(9)/2012/स्टाम्प–55/2009–चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 169/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्यों के लिये दिनांक 31.03.2013 की तारीख तक ₹ 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 7–7–2012, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 वित्त/552–14–8–2012–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।